भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3802
दिनांक 25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मासिक धर्म स्वच्छता योजना

3802. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या मासिक धर्म स्वच्छता योजना किशोरियों को उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक बेहतर पहुँच और उपयोग के अपने अनूठे उद्देश्यों को पूरा कर रही है;

(ख): यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार और किशोरियों को रियायती दरों पर सैनिटरी नैपकिन पैक उपलब्ध करने हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग): यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ): क्या कार्यान्वयन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.): ओडिशा में उक्त योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की क्या भूमिका है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ड.): सरकार द्वारा 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की स्कीम वर्ष 2011 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

i) मासिक धर्म स्वच्छता पर किशोरियों के बीच जागरूकता बढ़ाना।

ii) किशोरियों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुँच और उपयोग को बढ़ाना।

iii) पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।

वर्ष 2015-16 से, मासिक धर्म स्वच्छता योजना के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सैनिटरी नैपकिन की खरीद का विकेन्द्रीकरण किया है। एचएमआईएस में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान फरवरी माह, 22 के अंत तक कुल 2.72 करोड़ लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए थे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक क** में दिया गया है।

स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के प्रति सुग्राही बनाने और स्कीम के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एनएचएम के अंतर्गत उन्हें क्षमता निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अन्य साथी मंत्रालयों,राज्यों, विकास भागीदारियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर किशोरियों, उनके संरक्षकों, प्रभावकों और समुदाय पर लक्षित संचार सामग्री विकसित की गई है, तथा इसका उपयोग मासिक धर्म के दौरान स्वस्थ आदतों पर जागरूकता सृजित करने और इसके जुड़े मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए किया जाता है।

इस स्कीम के अंतर्गत आशा कर्मियों की भूमिका सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समान ही है। आशा कर्मी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सहित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में बात करने के लिए अपने क्षेत्र की किशोरियों के साथ मासिक बैठकें करती हैं। प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा कर्मियों) द्वारा किशोरियों को रियायतीदरों पर सेनेटरी नैपकिन पैक प्रदान किए जाते हैं।

अनलग्नक क

एनएचएम के तहत सैनिटरी नैपकिन खरीद के लिए राज्य-वार एसपीआईपी अनुमोदन

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष 2020-21के लिए एसपीआईपी अनुमोदन (लाख रूपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
2	आंध्र प्रदेश	589.35
3	अरुणाचल प्रदेश	-
4	असम	165.34
5	बिहार	789.64
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ	-
8	दिल्ली	182.4
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमण और द्वीव	-
10	गोवा	-
11	गुजरात	-
12	हरियाणा	-
13	हिमाचल प्रदेश	98
14	जम्मू और कश्मीर	443.44
15	झारखंड	-
16	कर्नाटक	-
17	केरल	119.7
18	लद्दाख	-
19	लक्षद्वीप	7.71
20	मध्य प्रदेश	-
21	महाराष्ट्र	943.97

22	मणिपुर	114.04
23	मेघालय	-
24	मिजोरम	-
25	नागालैंड	5.69
26	ओडिशा	375.41
27	पुद्दुचेरी	36
28	पंजाब	139.65
29	राजस्थान	1,500.00
30	सिक्किम	-
31	तमिलनाडु	-
32	तेलंगाना	-
33	त्रिपुरा	56
34	उत्तर प्रदेश	-
35	उत्तराखंड	261.57
36	पश्चिम बंगाल	568.91
	सकल योग	**6,396.82**

-एसपीआईपी का अर्थ है राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं।

-व्यय में पिछले वर्ष का अव्ययित शेष, केन्द्रीय अनुदान और राज्य का हिस्सा शामिल हैं।

-उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं।

****